



उत्तरांचल विधान सभा

प्रश्न क्रमांक

५०/११/०१

## उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार 29 कार्तिक, शक संवत्, 1923

( दिनांक : 20 नवम्बर, 2001 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

- 1— अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।
- 2— अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।
- 3— निधन के निदेश अथवा निधन की सूचना, यदि कोई हों।
- 4— सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
- 5— समाज कल्याण मंत्री "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यादेश, 2001" को सदन के पटल पर रखेंगे।
- 6— सचिव, राज्य सभा से प्राप्त "संविधान (इक्यानवेंवाँ संशोधन) विधेयक, 2001" के अनुसमर्थन हेतु प्राप्त विधेयक की प्रतियाँ तथा तत्सम्बन्धी साहित्य को प्रक्रिया सम्बन्धी नियम-182 के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखेंगे।
- 7— सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 मई, 2001 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का सातवाँ अधिनियम बन गया।
- 8— सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 मई, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का आठवाँ अधिनियम बन गया।
- 9— सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 मई, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का नववाँ अधिनियम बन गया।

- 10- सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 मई, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का दसवाँ अधिनियम बन गया।
- 11- समाज कल्याण मंत्री "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- 12- समाज कल्याण मंत्री "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करेंगे।
- 13- पर्यटन मंत्री "उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- 14- पर्यटन मंत्री "उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करेंगे।
- 15- वित्त मंत्री "उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- 16- वित्त मंत्री "उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" को पुरःस्थापित करेंगे।
- 17- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"चूँकि उत्तरांचल राज्य में स्थापित मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में दिनों-दिन हो रही प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए एवं रोगियों की जीवन रक्षा के लिए अत्यन्त विषम परिस्थितियों में मानव अंगों जैसे कॉर्निया, गुर्दा इत्यादि का प्रत्यारोपण, आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (1) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इस आशय की संकल्प पारित किये जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, संसद द्वारा दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994) दिनांक 8 जुलाई, 1994 को अधिनियमित किया चुका है और चूँकि संसद द्वारा अधिनियमित दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, 1994 (अधिनियम संख्या-42 सन् 1994) दिनांक 8 जुलाई, 1994 को संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में प्रवृत्त किया गया था और अन्य राज्यों में प्रवृत्त किये जाने हेतु उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार उक्त अधिनियम को अंगीकृत किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होने का उपबंध किया गया है;

और, चूँकि दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है;

और, चूँकि इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994) को उपरोक्त कारणों से उत्तरांचल राज्य में अंगीकृत किया जाय;

अतःएव, अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह संकल्प करती है कि दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, 1994 (मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय"

- 18- विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
- 19- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
- 20- मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
- 21- कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
- 22- वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे (समय-अपराहन् 1 : 00 बजे)।
- 23- उत्तरांचल में अधूरी पड़ी विद्युत परियोजनाओं का कार्य टिहरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन के माध्यम से कराये जाने के सम्बंध में श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 2001 को पूछे अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 के विषय पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।
- 24- उत्तरांचल को सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं संबंधी अधिकार देने के सम्बंध में श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2001 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-1 के विषय पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।
- 25- नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून:  
दिनांक : 20 नवम्बर, 2001

आज्ञा से,

  
( महेश चन्द्र )  
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

तृतीय सत्र, 2001  
का प्रथम मंगल

# उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार 29 कार्तिक, शक संवत्, 1923

( दिनांक : 20 नवम्बर, 2001 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

नत्थी (क)

—: अल्पसूचित प्रश्न :—

श्री अम्बरीष कुमार  
9-10-2001

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देने के सरकार के अनुरोध पर क्या परिणाम रहा, विशेष पैकेज न मिल पाने की दशा में घाटे को किस प्रकार पूरा किया जायेगा?

वित्त



उत्तरांचल विधान सभा

तृतीय सत्र, 2001  
का प्रथम मंगल

## उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार 29 कार्तिक, शक संवत्, 1923

( दिनांक : 20 नवम्बर, 2001 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

नत्थी (ख)

—: तारांकित प्रश्न :—

- |                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| श्री मुन्ना सिंह चौहान<br>20-2-2001    | *1. | क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से सम्बंधित सरकार की योजना के मुख्य बिन्दु क्या हैं? क्या सरकार ने इस योजना के लक्ष्यों के अनुरूप वित्त पोषण की व्यवस्था की है? उक्त योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में कितने व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है? यदि नहीं तो क्यों?                                                                                                  | पर्यटन         |
| श्रीमती इन्दिरा हृदयेश<br>15-03-2001   | *2. | क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की बहुमूल्य सम्पदा रेत और बजरी को किस माध्यम से बिक्री कराने की सरकार ने व्यवस्था की है?                                                                                                                                                                                                                                                                  | उद्योग         |
| श्री लाखी राम जोशी<br>28-2-2001        | *3. | मंत्रि-मण्डल में शामिल होने के कारण हटाया गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा<br>12-03-2001 | *4. | क्या सरकार को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ में स्थित कार्यरत एकमात्र मैग्नेसाइट उद्योग मिनिरल एण्ड माइन्स फैक्ट्री चण्डाक प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच विवाद उत्पन्न होने से विगत दस वर्षों से बन्द पड़ी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पिथौरागढ़ को उद्योग शून्यता होने से बचाने एवं श्रमिक एवं जनहित में उद्योग पुनः चलाने हेतु श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में आयोग गठित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | औद्योगिक विकास |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| श्री अम्बरीष कुमार<br>05-03-2001 | * 5. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्य 12 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जायेगी? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों? | ऊर्जा |
| श्री राम सिंह सैनी<br>19-03-2001 | * 6. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेरोज़गार युवकों को रोज़गार देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है?                                                                        | श्रम  |
| श्री ज्ञान चन्द<br>3-10-2001     | * 7. मंत्रि-मण्डल में शामिल होने के कारण हटाया गया                                                                                                                                                                     |       |

—: अतारांकित प्रश्न :—

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| श्री राम सिंह सैनी<br>14-8-2001       | 1. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि काशीपुर सिस्सोरा इन्टरनेशनल टेलीविज़न बनाने वाली कम्पनी ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार फ़ैक्ट्री में कार्यरत 110 कर्मचारियों के रोज़गार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?                | उद्योग |
| श्री विशन सिंह चुफाल<br>1-10-2001     | 2. क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल सीमा से लगी हुई काली नदी पर खनन से काली नदी का बहाव भारत की ओर बढ़ रहा है? क्या सरकार इन क्षेत्रों में खनन की स्वीकृति बन्द करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?                                                                        | उद्योग |
| श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा<br>4-10-2001 | 3. क्या सरकार बतायेगी कि उत्तरांचल में विद्युत विभाग में लाइन मैनों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त है? इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?                                                                                                                          | ऊर्जा  |
| श्री राम सिंह सैनी<br>6-10-2001       | 4. क्या ऊर्जा मंत्री जनहित में, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सांयकाल, चार घंटे विद्युत आपूर्ति देने की कोई योजना बनायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?                                                                                                                                   | ऊर्जा  |
| श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा<br>8-10-2001 | 5. क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद चम्पावत में विद्युत व्यवस्था तीन डिवीजनों द्वारा संचालित की जाती है। जिससे प्रशासनिक कार्य में दिक्कतें आती हैं? क्या इस व्यवस्था के सुधार हेतु लोहाघाट में डिवीजनल कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो कब तक इसका कार्यान्वयन हो जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? | ऊर्जा  |